मानव संसाधन विकास मंत्रालय
पुनः मुद्रित/Min. of Human Resource Dev
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edu.)
नई दिल्ली/New Delhi

(राज्य सभा में 9 मई, 1994 को पुरःस्थापित रूप में)

1994 का विधेयक संख्यांक 36

डा० बी० आर० अंबेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994

खंडों का क्रम

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. विश्वविद्यालय ।
4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
5. विश्वविद्यालय की शक्तियां ।
6. अधिकारिता ।
7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।
8. छात्रों के आवास ।
9. कुलाध्यक्ष ।
10. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
11. कुलाधिपति ।
12. कुलपति ।
13. प्रतिकुलपति ।
14. विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।
15. कुलसचिव ।
16. वित्त अधिकारी ।
17. अन्य अधिकारी ।
18. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।
19. प्रबंध-बोर्ड ।
20. योजना और विद्या समिति ।
21. विद्या परिषद् ।
22. योजना बोर्ड ।
23. स्कूल बोर्ड ।
24. वित्त समिति ।

खंड

25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।

26. परिनियम बनाने की शक्ति ।

27. परिनियम कैसे बनाए जाएंगे ।

28. अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

29. विनियम ।

30. वार्षिक रिपोर्ट ।

31. वार्षिक लेखे ।

32. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

33. छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।

34. अपील करने का अधिकार ।

35. भविष्य और पेंशन निधियां ।

36. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

37. समितियों का गठन ।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

39. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।

40. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

41. विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग ।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

43. संक्रमणकालीन उपबंध ।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसची ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)
नई दिल्ली/New Delhi

1994 का विधेयक संख्यांक 36

[दि डा० बी० आर० अंबेडकर यूनिवर्सिटी बिल, 1994 का हिंदी अनुवाद]

डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक, 1994

उत्तर प्रदेश राज्य में अध्यापन और आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डा० बी० आर० अंबेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "शैक्षणिक कर्मचारिवृंद" से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं, जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के रूप में अभिहित किए जाएं ;

(ग) "प्रबंध बोर्ड" से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है ;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev.
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Ed
नई दिल्ली/New Delhi

(घ) "अध्ययन बोर्ड" से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रतिकुलपति" से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं ;

(च) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला महाविद्यालय अभिप्रेत है ;

(छ) "विभाग" से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केंद्र हैं ;

(ज) "दूर शिक्षा पद्धति" से संचार के किसी माध्यम जैसे कि प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद हैं ;

(ञ) "वित्त समिति" से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ट) "छात्र निवास" से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई है ;

(ठ) "संस्था" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है जो महाविद्यालय नहीं है ;

(ड) "योजना और विद्या समिति" से विश्वविद्यालय की योजना और विद्या समिति अभिप्रेत है ;

(ढ) "योजना बोर्ड" से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ण) "प्राचार्य" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए गए किसी महाविद्यालय या किसी संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और जहां कोई प्राचार्य नहीं है वहां इसके अंतर्गत प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए उस समय सम्यक्तः नियुक्त व्यक्ति, और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उपप्राचार्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति है ;

(त) "मान्यताप्राप्त संस्था" से उच्चतर विद्या की ऐसी संस्था अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है ;

(थ) "मान्यताप्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई है ;

(द) "विनियमों" से तत्समय प्रवृत्त इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ध) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय में अध्ययन का विद्यापीठ अभिप्रेत है ;

(न) "परिनियम" और "अध्यादेश" से क्रमशः तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)
नई दिल्ली/New Delhi

(घ) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किए जाते हैं ;

(ङ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित डा० बी०आर० अंबेडकर विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ।

बिश्वविद्यालय ।

3. (1) "डा० बी०आर० अंबेडकर विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय लखनऊ में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे, निवेश स्थापित कर सकेगा ।

(3) प्रथम कुलपति तथा प्रबंध-बोर्ड, योजना और विद्या समिति, या विद्या परिषद् या योजना बोर्ड के प्रथम सदस्य और उन सभी व्यक्तियों को, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य, बन गए हैं जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण करते रहें मिलाकर, "डा० बी०आर० अम्बडकर विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है ।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो वह ठीक समझे, शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना ; विज्ञान और प्रोद्योगिकी के मूल और अग्रणी क्षेत्रों में तथा विश्वविद्यालय के शैक्षानिक कार्यक्रमों में अन्य सहायक विद्याओं में समीकृत पाठयक्रमों के लिए उपबंध करना ; अन्तर विद्या अध्ययनों और अनुसंधान में, अध्यापन और अध्ययन प्रक्रिया में अभिनव परिवतन का प्रोन्नयन करने लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों का साक्षरतया और अनसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के सदस्यों की विशेष, रूप से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की अधिक प्रतिशतता का उपबंध करके सामाजिक तथा आर्थिक दशा के सुधार और कल्याण, के प्रति विशेष ध्यान देना होगा और विश्वद्यिालय अपने कार्यकलायों कोसंगठित करने के पहलो अनुसूनो में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सदय ध्यान रखेगा ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां ।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना ;

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना, तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर किन्हीं ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को वापस लेना ;

(iii) निवेशवाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तारी सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना ;

(iv) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य सम्मान प्रदान करना ;

(v) उन व्यक्तियों को, जिनके बारे में वह अवधारित करे, दूरशिक्षा पद्धति के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना ;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे प्राचार्य, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(vii) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना ;

(x) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xii) ऐसे निवेश, विशेष केंद्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अनुसंधान और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(xiii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और देना;

(xiv) महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र निवास स्थापित करना और चलाना;

(xv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसे ठहराव करना जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvi) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कर्मशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना ;

(xvii) महिला छात्राओं के आवास, अनुशासन और शिक्षण के बारे में ऐसे विशेष इंतजाम करना जो विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(xviii) अभ्यागत आचार्य, प्रतिष्ठित आचार्य, परामर्शदाता, विद्वान तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की संविदा पर या अन्यथा नियुक्ति करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें ;

(xix) परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xx) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति है;

(xxi) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना ;

(xxiii) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता है, अधिकथित करना ;

(xxiv) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनसे अनुशासन का पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं ;

(xxv) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना ;

(xxvi) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना ;

(xxvii) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना ;

(xxviii) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

अधिकारिता ।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर होगा ।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना ।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, और विश्वविद्यालय के लिए, उसमें किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने का हकदार होने के लिए या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना या उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त या समाज के कमजोर वर्ग और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

छात्रों के आवास ।

8. विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र (उस छात्र से भिन्न जो दूर शिक्षा पद्धति से अध्ययन कर रहा है) किसी छात्र निवास या होस्टल या ऐसी अवस्थाओं में रहेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

कुलाध्यक्ष ।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत उसके प्रबन्ध के अधीन महाविद्यालय और संस्थाएं हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष उस पर कुलपति के माध्यम से प्रबंध-बोर्ड का मत अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev,
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)
[illegible]/New Delhi

रिपोर्ट में दिए गए विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या की गई परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा, और विश्वविद्यालय को, कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा जो वह आवश्यक समझे ।

(5) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है ।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती हैं तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश करते हुए कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्यवाही करने के संबंध में ऐसे मत और सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर, कुलपति प्रबंध-बोर्ड को कुलाध्यक्ष के विचार ऐसी सलाह के साथ संसूचित करेगा जो कुलाध्यक्ष उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दे ।

(8) प्रबंध-बोर्ड कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है ।

(9) जहां प्रबंध-बोर्ड, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष प्रबंध-बोर्ड द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और प्रबंध-बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(10) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभावी कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पहले वह कुलसचिव से इस बात का कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण दर्शित कर दिया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा ।

(11) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource De
7 (शिक्षा [illegible])
[illegible] ew Delhi

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

(1) कुलाधिपति ;

(2) कुलपति ;

(3) प्रतिकुलपति ;

(4) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ;

(5) कुलसचिव ;

(6) वित्त अधिकारी ; और

(7) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं ।

कुलाधिपति ।

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) यदि कुलाधिपति उपस्थित हो तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

कुलपति ।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण अधीक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा ।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह कुलाध्यक्ष को ऐसा मामला निर्देशित कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील, प्रबंध-बोर्ड से करे और तब प्रबंध-बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा ।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या जो विनिश्चय किया गया है वह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस विनिश्चय का या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा साठ दिन की उक्त कालावधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

प्रतिकुलपति ।

13. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष ।

14. प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाए ।

कुलसचिव ।

15. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने या दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी ।

16. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

अन्य अधिकारी ।

17. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

18. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:—

(1) प्रबन्ध-बोर्ड ;

(2) योजना और विद्या समिति ;

(3) विद्या परिषद् ;

(4) योजना बोर्ड ;

(5) अध्ययन के बोर्ड ;

(6) वित्त समिति ; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं ।

प्रबंध-बोर्ड ।

19. (1) प्रबंध-बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) प्रबंध-बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

योजना और विद्या समिति ।

20. (1) विश्वविद्यालय की एक योजना और विद्या समिति गठित की जाएगी जो प्रबन्ध-बोर्ड को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और विकास क्रिया-कलापों से संबंधित विषयों पर सलाह देगी और विश्वविद्यालयों के विकास की देखभाल करेगी, पुनर्विलोकन तथा उसे मानिटर करेगी और विश्वविद्यालय में शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को पुनर्विलोकनाधीन रखेगी ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)

(2) योजना और शिक्षा समिति का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(3) कुलाध्यक्ष वह तारीख अवधारित कर सकेगा जिससे योजना और विद्या समिति विघटित होगी ।

विद्या परिषद् ।

21. (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उन पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी ।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

योजना बोर्ड ।

22. (1) योजना बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा ।

(2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों को पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

स्कूल बोर्ड ।

23. स्कूल बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

वित्त समिति ।

24. वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण ।

25. ऐसे अन्य प्राधिकरणों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

परिनियम बनाने की शक्ति ।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकता है, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां और उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अन्तर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है ;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत ;

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev.
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)
नई दिल्ली/New Delhi

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यम की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध कर्मचारी या छात्र द्वारा प्रबंध-बोर्ड को अपील की प्रक्रिया ;

(ञ) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(ट) विद्यापीठों, विभागों, केन्द्रों, छात्र निवासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति ;

(ठ) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ड) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टिताओं का वापस लिया जाना ;

(ढ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(त) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(थ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या किए जा सकेंगे ।

परिनियम कैसे बनाये जाएंगे ।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं ।

(2) प्रबंध-बोर्ड समय-समय पर नया या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु प्रबंध-बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उनका संशोधन नहीं करेगा और उनका निरसन नहीं करेगा जब तक उस प्राधिकरण को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त राय पर प्रबंध बोर्ड विचार करेगा ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे प्रबंध-बोर्ड को उसके विचार के लिए वापस भेज सकेगा ।

(4) किसी नये परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाले कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो ।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकेगा, और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे ।

(6) पूर्वगामी उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि प्रबंध-बोर्ड ऐसे निदेश को उसकी

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource D
शिक्षा विभाग/Deptt. of Edu
नई दिल्ली/New Delhi

प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष प्रबंध बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् उचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा ।

अध्यादेश बनाने की शक्ति ।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए नियत किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं के लिए ली जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययन वृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें ;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्ययन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है, उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्र, अध्ययन बोर्ड, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अन्तर्गत विद्वत निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति ;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य ;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं ;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध ;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक मशीनरी का गठन ; और

(थ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जा सकेंगे ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev.
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से प्रबंध बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या जोडे जा सकेंगे ।

विनियम ।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेश से संगत है ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंध-बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए कार्य होंगे ।

(2) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट ऐसी तारीख को या उसके पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

वार्षिक लेखे ।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, प्रबंध-बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी ।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण प्रबंध-बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और प्रबंध-बोर्ड के विचार, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी जो यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें ।

32. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उद्भूत कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को, जो प्रबंध-बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त अधिनिर्णायक से मिलकर बनेगा, निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं होगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध माध्यस्थम् अधिनियम्, 1940 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जायेगा ।

1940 का 2

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी ।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया ।

33. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रबन्ध-बोर्ड को अपील कर सकेगा और प्रबन्ध-बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से पैदा होने वाला कोई भी विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार ।

34. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्रावार्य के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तब प्रबन्ध-बोर्ड उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उलट सकेगा ।

भविष्य और पेंशन निधियां ।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य और पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) जहां ऐसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो ।

1925 का 19

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

समितियों का गठन ।

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियां, संबंधित प्राधिकरण के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे, मिलकर बनेंगी ।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev.
(शिक्षा विभाग/Deptt. of Edn.)
नई दिल्ली/New Delhi

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना ।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होंगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

40. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को साबित करने का ढंग ।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा प्रमाणित कर दी जाने पर, उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उसमें उसके मामलों और व्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी । 1872 का

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

43. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उक्त अधिकारी पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त अधिकारियों में से प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ग) प्रथम प्रबन्ध-बोर्ड ग्यारह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

(घ) प्रथम विद्या परिषद् और प्रथम योजना बोर्ड, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर गठित किया जाएगा और उक्त दस वर्ष की अवधि के दौरान इन दोनों प्राधिकरणों की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन धारा 20 के अधीन गठित योजना और विद्या समिति द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक के लिए पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, उस पद को ऐसी रिक्ति न होने की दशा में, धारण करता ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource D
15 (इ.क्ष) [illegible]
[illegible] New Delhi

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना ।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

1872 का

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पूर्व की नहीं है, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति है, किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो सकता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
Min. of Human Resource Dev/
(शिक्षा विभाग/Dept. of Edn.)
नई दिल्ली/New Delhi

पहली अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल और अग्रणी क्षेत्र में तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में अन्य सहायक विद्याओं में उच्चतर पाठ्यक्रम का संवर्द्धन करने, अंतर विद्या अध्ययनों और अनुसंधान में अध्यापन और शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में अभिनव परिवर्तन का प्रौन्नयन करने के लिए समुचित उपाय करेगा । उत्तर प्रदेश के लोगों की साधारणतया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों की अधिक प्रतिशतता का उपबंध करके सामाजिक तथा आर्थिक दशा और कल्याण के सुधार के प्रति विशेष ध्यान देगा । विश्वविद्यालय, अपने कार्यकलापों को संगठित करने में पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति

1. (1) कुलाधिपति को डा० बी०आर० अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिदर्शक द्वारा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर देश के बौद्धिक या सार्वजनिक जीवन में प्रख्यात व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा ।

परन्तु यदि परिदर्शक इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह प्रबन्ध बोर्ड से नई सिफारिशें मंगा सकेगा ।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

कुलपति

2. (1) कुलपति की नियुक्ति खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नया पैनल मंगा सकेगा ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय का प्रबंध-बोर्ड, विद्या परिषद् या योजना और विद्या समिति का सदस्य, विद्यालय या किसी संस्था से संबद्ध किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा ।